

प्रेस को जानकारी टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 66 / 2020)

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण "विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न 'लेयर्स की अनबंडलिंग' करने में सक्षम बनाने" के संबंध में परामर्श पत्र पर टिप्पणियां तथा प्रति- टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 20 अगस्त, 2020 की "विभेदकारी लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न 'लेयर्स की अनबंडलिंग' करने में सक्षम बनाने" के संबंध में परामर्श पत्र पर टिप्पणियां तथा प्रति- टिप्पणियां आमंत्रित की है। टिप्पणियां तथा प्रति- टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 17 सितम्बर, 2020 तथा दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार किए जाने के लिए उद्योग संघों के अनुरोध को मद्देनजर रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि लिखित टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तथा प्रति- टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 कर दिया गया है। समय विस्तार हेतु कोई आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियों तथा प्रति- टिप्पणियों को को अधिमानतः इलेक्ट्रानिक स्वरूप में advmn@traai.gov.in पर श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भेजा जाए। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए उनसे दूरभाष नम्बर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(एस0 के0 गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।